

2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज आवड़दान बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 34 / 2019	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.19	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी आवड़दान पुत्र शक्तिदान जाति चारण निवासी गाडना, तहसील बाप जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.11.18 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत बड़ी सिड़ पंचायत समिति बा पके वार्ड संख्या 6 के मार्च 2018 में हुए उपचुनाव के दौरान उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जो खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	